pan>

Title: Introduction of the Right to Shelter Bill, 2016.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अथवा अल्प आय समूह में आने वाले व्यक्तियों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक आवासीय इकाई उपलब्ध कराकर आश्रय के अधिकार और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the right to shelter to the persons living below poverty line or falling under low income group by providing a dwelling unit to every such family in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

-

-

-